भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 222

16/12/2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए आबंटित धनराशि

***222. श्री अरुप चक्रवर्ती:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए आबंटित बजट और प्रत्येक वर्ष खर्च की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान पीएम-किसान के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के नामांकन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान पीएम-किसान के अंतर्गत ऐसे कितने किसान हैं जिनका नामांकन किया गया है और उन्हें अभी तक वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आंशिक रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए आबंटित धनराशि’ के संबंध में लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है। चूंकि यह एक पात्रता-आधारित योजना है, जिसमें हर पात्र किसान परिवार को लाभ मिलता है, इसलिए पीएम-किसान के तहत किसानों के नामांकन के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य नहीं है और न ही कोई राज्य-वार बजट आवंटन है। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसानों को लाभान्वित करने और उन्हें जारी की गई राशि का विवरण किस्त-वार, राज्य-वार अनुलग्नक में संलग्न है।

(ग) पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीम के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने तथा पात्र किसानों के भूमि अभिलेखों सहित त्रुटिरहित डेटा अपलोड करने, और लाभों के सफल अंतरण के लिए उनके बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने तथा ई-केवाईसी के लिए अधिदेशित किया गया है। योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण और उनका सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल, पीएम-किसान ऐप और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। यदि आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, किस्त जारी करने के लिए विभाग द्वारा तुरंत लाभ संसाधित किया जाता है।

पिछले दो वर्षों में पीएम-किसान योजना के तहत नामांकित और सभी लाभ, आंशिक लाभ और कोई लाभ प्राप्त न करने वाले किसानों की संख्या इस प्रकार है:

पंजीकृत किसानों की संख्या	सभी लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या	आंशिक लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या	कोई लाभ प्राप्त न करने वाले किसानों की संख्या
1,32,60,543	1,16,89,180	2,29,731	13,41,632

विभिन्न कारणों से 13,41,632 किसानों को लाभ प्राप्त नहीं हुए, जिनमें अनिवार्य सत्यापन आवश्यकताओं जैसे कि भूमि सीडिंग या लाभार्थी के बैंक खाते के साथ आधार को लिंक करनाया ई-केवाईसी को पूरा न करना शामिल है, गैर-कृषि भूमि का उपयोग, परिवार के किसी सदस्य को पहले से ही योजना का लाभ मिलना, स्वैच्छिक आत्मसमर्पण (कोई भी लाभ प्राप्त करने से पहले), और आयकर दाता पाया जाना ।

जिन किसानों को आंशिक लाभ मिला था, उनके लाभ भूमि उपयोग और अन्य अपवर्जन मानदंडों सहित विभिन्न विवरणों को सत्यापित करने के लिए रोक दिए गए थे । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि योजना के तहत किसानों का पंजीकरण और उनका सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। एक बार जब राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से किसानों का सही और सत्यापित डेटाप्राप्त हो जाता है, तो विभाग द्वारा लाभ पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और इसे अगली किस्त में जारी कर दिया जाता है।

अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएम-किसान स्कीम के तहत वितरित लाभों का राज्यवार और किस्तवार विवरण, दिनांक 25.11.2025 के अनुसार

#	राज्य	14वीं किस्त (अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023)		15वीं किस्त (अगस्त, 2023 - नवम्बर, 2023)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,098	2.68	3,620	0.93
2	आंध्र प्रदेश	41,36,726	996.70	39,56,941	893.30
3	अरुणाचल प्रदेश	68,867	16.21	54,805	12.88
4	असम	8,75,775	281.62	12,15,906	487.61
5	बिहार	75,69,400	1,580.74	72,23,753	1,605.95
6	चंडीगढ़	134	0.03	275	0.09
7	छत्तीसगढ़	20,24,754	450.58	21,54,244	576.04
8	दिल्ली	12,931	2.77	8,302	1.97
9	गोवा	5,664	1.21	5,982	1.37
10	गुजरात	45,17,899	961.42	42,35,547	1,044.61
11	हरियाणा	15,39,264	344.22	13,84,970	323.07
12	हिमाचल प्रदेश	7,39,081	177.60	7,15,976	169.91
13	जम्मू और कश्मीर	7,32,057	176.66	7,65,561	180.01
14	झारखंड	13,02,856	318.79	12,59,786	381.94
15	कर्नाटक	49,34,537	1,017.44	43,78,005	966.43
16	केरल	23,41,007	554.17	23,50,849	662.25
17	लद्दाख	14,453	3.49	14,807	3.73
18	लक्षद्वीप	1,436	1.98	1,211	0.40
19	मध्य प्रदेश	76,42,682	1,684.92	75,68,448	1,705.95
20	महाराष्ट्र	85,60,249	1,867.25	84,54,963	1,996.38
21	मणिपुर	3,711	1.72	5,871	2.53
22	मेघालय	33,388	15.80	55,836	32.14
23	मिजोरम	50,744	14.72	55,937	19.55
24	नागालैंड	1,35,346	32.57	1,18,825	29.29
25	ओडिशा	26,93,134	698.86	24,96,882	703.12
26	पुडुचेरी	8,316	1.68	8,054	1.68
27	पंजाब	8,56,739	182.42	4,97,229	152.67
28	राजस्थान	56,88,859	1,283.28	48,65,934	1,179.78
29	सिक्किम	10,617	2.84	13,945	6.73
30	तमिलनाडु	20,95,323	443.91	20,45,367	491.39
31	तेलंगाना	29,51,139	614.59	28,71,816	664.13
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,492	2.42	10,346	2.33
33	त्रिपुरा	2,21,260	45.63	1,94,951	44.57
34	उत्तर प्रदेश	1,86,54,266	4,249.97	1,75,61,389	4,181.87
35	उत्तराखंड	7,59,704	168.86	6,79,685	160.89
36	पश्चिम बंगाल	44,72,183	1,004.21	39,80,679	909.34
	कुल योग	**8,56,79,091**	**19,203.93**	**8,12,16,697**	**19,596.81**

#	राज्य	16वीं किस्त (दिसम्बर, 2023 - मार्च , 2024)		17वीं किस्त (अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024)		18वीं किस्त (अगस्त, 2024 - नवम्बर, 2024)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12,289	4.90	12,546	2.80	12,832	2.80
2	आंध्र प्रदेश	40,76,542	924.14	41,40,576	875.56	41,22,500	836.36
3	अरुणाचल प्रदेश	80,108	18.94	67,613	18.55	90,473	25.60
4	असम	16,43,490	592.21	18,14,353	426.08	18,87,589	403.53
5	बिहार	75,65,177	1,705.67	76,55,855	1,598.95	75,81,033	1,544.52
6	चंडीगढ़	340	0.12	349	0.08	15	0.00
7	छत्तीसगढ़	23,20,690	580.33	24,31,803	577.36	25,07,764	570.00
8	दिल्ली	10,240	3.22	10,808	2.51	10,829	2.26
9	गोवा	6,263	1.76	6,322	1.36	6,333	1.33
10	गुजरात	46,40,953	1,203.54	48,45,936	1,084.42	49,12,382	1,038.73
11	हरियाणा	15,18,315	375.33	15,87,993	362.17	15,99,904	342.29
12	हिमाचल प्रदेश	7,71,363	185.74	8,06,658	190.49	8,17,551	171.90
13	जम्मू और कश्मीर	8,25,744	215.16	8,53,719	192.53	8,58,660	182.65
14	झारखंड	16,18,123	839.80	18,42,854	633.39	19,98,474	546.37
15	कर्नाटक	44,34,143	979.54	43,04,824	958.27	43,48,126	941.85
16	केरल	26,48,061	689.25	27,57,444	637.26	28,15,241	597.95
17	लद्दाख	17,682	4.73	18,192	4.05	18,208	3.77
18	लक्षद्वीप	1,314	0.54	1,972	0.54	2,198	0.45
19	मध्य प्रदेश	79,87,576	1,808.41	80,80,414	1,679.85	81,37,388	1,682.12
20	महाराष्ट्र	89,61,907	2,025.42	91,43,117	1,940.12	91,43,729	1,888.58
21	मणिपुर	1,04,367	70.44	79,198	28.01	85,936	42.79
22	मेघालय	1,01,537	56.83	1,30,649	49.02	1,50,413	33.91
23	मिजोरम	86,253	54.94	99,140	36.82	1,10,998	31.69
24	नागालैंड	1,44,410	36.46	1,62,277	49.02	1,71,922	42.84
25	ओडिशा	28,96,597	792.82	30,58,332	737.89	31,50,684	689.02
26	पुडुचेरी	8,266	1.94	8,182	1.73	8,033	1.64
27	पंजाब	7,17,316	247.64	8,40,274	290.56	9,26,150	272.82
28	राजस्थान	62,60,974	1,641.34	67,25,793	1,525.71	70,32,147	1,545.17
29	सिक्किम	20,607	9.72	24,364	6.40	28,146	6.75
30	तमिलनाडु	21,50,556	503.46	21,83,435	460.03	21,94,666	455.94
31	तेलंगाना	30,65,395	765.47	30,98,123	654.69	30,77,516	627.51
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,335	3.22	11,567	2.56	11,587	2.44
33	त्रिपुरा	2,15,284	49.14	2,25,528	55.50	2,29,366	47.67
34	उत्तर प्रदेश	2,03,64,794	5,376.64	2,14,86,203	4,830.47	2,25,79,663	4,982.65
35	उत्तराखंड	7,51,037	183.24	7,86,763	177.97	7,97,001	168.78
36	पश्चिम बंगाल	44,05,646	1,140.25	44,98,404	964.42	45,03,171	931.55
	कुल योग	**9,04,44,694**	**23,092.29**	**9,38,01,580**	**21,057.13**	**9,59,28,628**	**20,666.20**

#	राज्य	19वीं किस्त (दिसम्बर, 2024 - मार्च , 2025)	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,353	3.18
2	आंध्र प्रदेश	41,59,954	888.05
3	अरुणाचल प्रदेश	94,953	22.63
4	असम	21,23,678	499.03
5	बिहार	76,13,623	1,609.42
6	चंडीगढ़	2	0.00
7	छत्तीसगढ़	26,14,078	622.65
8	दिल्ली	11,171	2.59
9	गोवा	6,387	1.35
10	गुजरात	52,01,076	1,181.19
11	हरियाणा	16,53,741	372.25
12	हिमाचल प्रदेश	8,40,337	193.90
13	जम्मू और कश्मीर	8,86,357	207.99
14	झारखंड	22,58,127	833.17
15	कर्नाटक	44,11,964	942.17
16	केरल	28,97,701	653.62
17	लद्दाख	18,472	3.93
18	लक्षद्वीप	2,306	0.50
19	मध्य प्रदेश	85,05,361	1,817.28
20	महाराष्ट्र	93,28,286	2,013.51
21	मणिपुर	1,80,263	146.88
22	मेघालय	1,91,642	46.75
23	मिजोरम	1,27,436	48.63
24	नागालैंड	1,87,908	52.22
25	ओडिशा	35,14,607	970.37
26	पुडुचेरी	8,044	1.69
27	पंजाब	10,58,688	373.04
28	राजस्थान	76,19,638	1,804.53
29	सिक्किम	31,612	7.85
30	तमिलनाडु	22,58,779	501.87
31	तेलंगाना	31,13,972	655.89
32	दादर और नगर हवेली दमन और दीव	11,806	2.54
33	त्रिपुरा	2,38,435	52.14
34	उत्तर प्रदेश	2,40,64,673	5,781.62
35	उत्तराखंड	8,27,797	185.06
36	पश्चिम बंगाल	46,09,388	1,001.36
	कुल योग	**10,06,85,615**	**23,500.83**

******